

फर्द अहकाम

न्यायालय _____ उप-खण्ड अधिकारी सांगानेर _____

अशोक कुमार _____ बनाम _____ गोपाल लाल _____

कदमा संख्या / वर्ष : _____ 61 _____ / 20 15 _____

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष बिलम्ब
-----	---------------------------	----------------------	--------------

21/123

पचावगी पेश दुई वकील वादी अपण वकील वादी को प्रतिकारण की तक्रवी हेतु दिनांक 21/11/15 को आदेशित किया गया। पुनः दिनांक 21/11/16 को वादी के प्रतिकारण की तक्रवी रजिस्ट्रार ए.डी. तक्रवाना पेश किये हेतु आदेशित किया गया। वादी को दिनांक 23/11/17, 25/11/17 को न्यायाहित में तक्रवी हेतु तक्रवाना पेश किये हेतु अन्तिम अवसर दिने जाने के उपरान्त वादी द्वारा तक्रवी हेतु तक्रवाना पेश नहीं किये। वादी को प्रतिकारण की तक्रवी जर्म रजिस्ट्रार ए.डी. तक्रवाना पेश करने हेतु न्यायाहित में एक और अन्तिम अवसर दिनांक 1/12/17 वादी आगामी पेशी पर अकरर की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ट्रेकरा (P/L) पेश करे। अन्यथा वादी वाड 09 R 05 CPC के अदर तकमील में स्वारिज कल दिया जावेगा। पचावगी दि. 23/11/23 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

23/11/23

पचावगी पेश दुई वकील प्राची अपण अप्राची सं. 1, 3, 6, 8 व 11 अपण नही दोष प्रतिकारण संख्या 2, 4, 5, 7, 9 व 12 की तक्रवी हेतु रजिस्ट्रार ए.डी. तक्रवाना पेश किये हेतु दिनांक 23/11/17 व 21/12/23 को न्यायाहित में अन्तिम अवसर दिने जाने के उपरान्त वादी ने आज दिनांक तक दोष अप्राचीण की तक्रवी हेतु रजिस्ट्रार ए.डी. तक्रवाना पेश नहीं किये है। वादी को दोष अप्राचीण की तक्रवी रजिस्ट्रार ए.डी. पेश किये हेतु लगभग 6 वर्ष तक समुचित अवसर प्रदान किये जा चुके हैं अतः प्राची का प्रणव अन्तर्गत 09 R 5 CPC के तहत अदर तकमील (NON Compliance) में स्वारिज किया जावेगा। पचावगी नम्वर उ कल हो का कद तकमील मूक वाड के साथ संलग्न हो। सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)